



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 42690 वर्ष 2025

फरमूद

....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	श्यामल कुमार प्रयागी
विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामल कुमार प्रयागी तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राजेश कुमार सिंह को सुना, और अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान जमानत अर्जी, 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023' की धारा 483 के अंतर्गत, आवेदक फरमूद की ओर से इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि उसे 'उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986' की धारा 3(1) के तहत, पुलिस थाना भदोही, जनपद भदोही में पंजीकृत 'केस क्राइम संख्या 308, वर्ष 2025' में, विचारण के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे किसी कुटिल उद्देश्य के कारण इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अनुबंध संख्या 3 के रूप में संलग्न 'गैंग-चार्ट' में केवल एक आपराधिक मामला दर्शाया गया है, और उस मामले में भी आवेदक जमानत पर है। आपराधिक इतिहास से संबंधित दो अन्य मामलों के संबंध में पर्याप्त स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आगे यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य, सरगना अथवा आयोजक नहीं है; और उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (बी) में वर्णित किसी गिरोह की गतिविधियों में न तो कोई दुष्प्रेरण किया है और न ही कोई सहायता प्रदान की है। उपर्युक्त मामले के अतिरिक्त, आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है। तत्पश्चात यह निवेदन किया गया है कि आवेदक द्वारा न्यायिक प्रक्रिया से पलायन करने अथवा गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की भी कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो दिनांक 05.07.2025 से जेल में निरुद्ध है, यह वचन देता है कि यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इस स्वतंत्रता का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मामलों के भारी लंबित होने के कारण, मुकदमे के शीघ्र निपटारे की कोई संभावना नहीं है।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन उन्होंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिखाए गए मामलों के अलावा आवेदक के खिलाफ कोई अन्य मामला नहीं बताया है।

तथ्यों की समग्रता, मामले की प्रकृति और रिकॉर्ड से सामने आए साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, और साथ ही अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला मानता हूँ। अतः, वर्तमान जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

आवेदक को उपर्युक्त 'केस क्राइम संख्या' में जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, उतनी ही राशि का एक व्यक्तिगत मुचलका और दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करे, निम्नलिखित शर्तों के साथ-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने बताने से रोका जा सके, अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न की जाए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष उन तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा,

जो (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप तय करने, और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत

बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित की गई हैं।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर, जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, किसी भी स्थगन की मांग नहीं करेगा।

(v) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित प्रत्येक तिथि पर, या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने वकील के माध्यम से, उपस्थित रहेगा।

उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, उसे ज़मानत रद्द करने का आधार माना जाएगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस ज़मानत याचिका के

निर्णय के उद्देश्य तक ही सीमित है, और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर व्यक्त की गई राय के रूप में नहीं समझा जाएगा। विचारण न्यायालय, इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

14 जनवरी, 2026

न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।